भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4360 का उत्तर

ट्रेनों के ठहराव की बहाली

4360. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कोविड महामारी के दौरान प्रतिबंधित ट्रेन सेवाओं के मद्देनजर ट्रेनों के ठहराव को बंद कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलवार, स्टेशनवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोविड महामारी के बाद बंद किए गए ठहरावों को पुनः बहाल कर दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या रेलवे को ऐसे किसी ठहराव को बहाल करने के लिए जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) अनुरक्षण गलियारे ब्लॉक का सृजन करके, रेलगाड़ियों की गति बढ़ाकर आदि द्वारा बेहतर यात्री संरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से, आईआईटी-मुंबई के सहयोग से वैज्ञानिक तरीके से समय-सारिणी को युक्तिसंगत बनाया गया है जिसमें ठहरावों का युक्तिकरण करना भी शामिल है।

रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर रेलवे को राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, परामर्शदात्री समितियों आदि से

औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे अभ्यावेदन/अनुरोधों का प्राप्त होना सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए, ऐसे अभ्यावेदनों/अनुरोधों का केंद्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनका निपटारा निर्धारित प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गाड़ी के ठहराव का प्रावधान करना सतत प्रक्रिया है जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता आदि के अध्यधीन है।

****